


II/बिग 0/सीधी/2018/01820

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

Rs
30/-

- 1- कालू तनय बैटोलें मुसलमान
- 2- इस्ताक मोह0
- 3- औसाने मोह0
- 4- मजीद मोह0
- 5- किन्ना मोह0

सभी के पिता शेख मोह0 सभी
निवासी ग्राम पमरिया, तहसील
सिहावल, जिला सीधी (म0प्र0)

—आवेदकगण

बनाम

- 1- गुले सत्तार तनय परदेशी
- 2- गुलाम मोह0
- 3- सुदामा तनय बली मोह0
- 4- ऐनुल तनय बली मोह0

सभी निवासी ग्राम पमरिया, तहसील
सिहावल, जिला सीधी (म0प्र0)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील
सिहावल, जिला सीधी दिनांक 07/03/18
वावत् प्र0क0-218/अ-74/2017-18

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय आदेश विधि, प्रकिया व अभिलेख के विरुद्ध है ।
- 2- यह कि विवादित भूमियाँ शासकीय भूमियाँ नहीं है बल्कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की भूमियाँ है फिर भी अनावेदक म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने दूषित कार्यवाही किया ।
- 3- यह कि यदि अनावेदक के आवेदन पेश करने की तिथि में आवेदकगण अभिलिखित भूमिस्वामी दर्ज थे तो विधि के उपबंधों के

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

कि.म. इस्ताक की.

अर्थात् शालपत्रादिप्राप्ति
इका देका/16-3-18

कलकत्ता अपाट कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 तहसीलदार
(सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/1820

जिला-सीधी

कालू मुसलमान/गुले सत्तार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 215/अ-74/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य